उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-163/2018/2414/92-2-18-06जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 16 नवम्बर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय धनराशि रू0 10,00.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता कर शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/ 2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल्-बरेली को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के पत्र संख्या-507/ग्रा0अ0वि0/आशु0अनु0/पत्रा0-08/श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहा0अभि0/17-18 दि0 13-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-954/92-2-17-06जांच/2017 दिनांक 13-07-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02-08-2017द्वारा शासनमें उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों पर

उपलब्ध कन्टीजेन्सी मद की धनराशि उपर्युक्त कार्यदेशों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय भवन की रंगाई, पुताई, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई कार्यो पर व्यय की गयी, जिससे यदयपिकिसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नही हुई तथापि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों पर उपलब्ध धनराशि कार्यालय भवन पर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिये शासन द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमारको परिनिन्दा का दण्ड तथा एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोके जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 05-07-2017 द्वारा उक्त पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से सहमति मांगी गयी, जो आयोग के पत्र दिनांक 30-06-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें मा0 आयोग द्वारा वित्तीय क्षतिसे संबंधित कोई दण्ड दिये जाने का औचित्य न होने के कारण कराये गये कार्य में प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिये श्री ज्ञानेन्द्र कुमार को प्रशासनिक दण्ड के रूप में परिनिन्दा का दण्ड दिया जाना उचित बताया गया है।

3- अतएव अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड एवं उस पर मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा किये गये संवीक्षण/प्राप्त सहमति एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी है परन्तु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता कार्यादेश निर्गत करने हेतु उसकी स्वीकृति न प्राप्त कर कार्य कराने एवं भुगतान की संस्तुति करने के उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-51/2016/1650/92-2-16-06जांच/ 2016 दिनांक 29-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 100/2018/1685/92-2-18-06जांच/2018 दिनांक 31-07-2018 परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किया गया। शासन द्वारा दिये गये उक्त दण्ड को समाप्त किये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा अपने पत्र सं0-32/ग्रा0अ0वि0/अभ्यावेदन-मथुरा/2016-17 दिनांक 23-08-2017 के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन शासन में उपलबध कराया गया।

4- शासन द्वारा दिये गये उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा अपने पत्र संख्या-32/ग्रा0अ0वि0/अभ्यावेदन-मथुरा/2016-17 दिनांक 23-08-2017 को प्रस्तुत करते हुये शासन द्वारा दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री ज्ञानेन्द्र द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन में अवगत करायागया कि लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कंटीजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 20,000.00 तक की सीमा के अंतर्गत कार्यादेश निर्गत करने एवं कार्य कराने की अनुमति तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा लिखित रूप से प्रदान की गयी तथा उनके द्वारा पारित समस्त भुगतान के देयक प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा विधीक्षित किया तथा उक्त भुगतान संबंधी मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय भेजा गया जिस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही की गयी।

5- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत मद से भिन्न दरों पर व्यय किये जाने के फलस्वरूप श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा वित्तीय अनियमित की गयी है जिसके लिये वे उत्तरदायी है। अत: उनके विरूद्ध परिनिन्दा का दण्ड समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नही है।

6- इस प्रकार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं संग अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री कुमार का प्रत्यावेदन दिनांक 23-08-2018 को बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-163/2018/2414/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा सम्प्रति-चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in